



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129505-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 751 वर्ष 2026

श्रीमती हुस्ना और अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : काज़ी अधिवक्ता अहमद

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 64

माननीय न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. इस न्यायालय द्वारा 01.06.2026 को जारी आदेश के तहत, सहारनपुर ज़िले के कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर रामधुन सिंह (पीएनओ--860740245) और महिला कॉन्स्टेबल - 1319 आरती (पीएनओ-212650404) ने हिरासत में रखी गई महिला को पेश किया है; उसे सहारनपुर के महिला सुधार गृह की हिरासत में रखा गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. विद्वान ए.जी.ए. श्री शशि शेखर तिवारी का कहना है कि उन्हें यह नहीं पता कि किस अधिकार के तहत उसे वहाँ रखा जा रहा है।

3. जो भी हो, हमें जानकारी मिली है कि उसे सहारनपुर के महिला सुधार गृह की कस्टडी में रखा जा रहा है।

4. याचिकाकर्ता संख्या 1, श्रीमती हुस्ना का कहना है कि वह बालिग हैं, उनकी उम्र लगभग 27 साल है, और उन्होंने सलमान से शादी की है, जिनके ज़रिए यह 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका दायर की गई है। दोनों ने 11.04.2026 को मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की। यह शादी मुकदमा अपराध संख्या 0187/2026 (धारा 87 बी.एन.एस., थाना कोतवाली देहात, ज़िला सहारनपुर) के शिकायतकर्ता को मंज़ूर नहीं थी। शिकायतकर्ता, जिसे यहाँ प्रतिवादी संख्या 8 बनाया गया है, उस महिला का भाई है जिसे हिरासत में रखा गया है।

5. हालाँकि प्रतिवादी संख्या 8 को सी.जे.एम. और स्पीड पोस्ट के ज़रिए नोटिस भेजे गए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हमें यकीन है कि प्रतिवादी संख्या 8 हमारी कानूनी प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहा है और जान-बूझकर पेश नहीं हो रहा है।

6. रिट याचिका में कहा गया है कि पहली याचिकाकर्ता और उनके पति सलमान, 07.04.2026 को महिला के अपने माता-पिता का घर छोड़ने के बाद पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। वे शामली के कैराना में झाड़खेड़ी रोड पर मोहल्ला दरबार खुर्द में एक किराए के मकान में साथ रह रहे थे। महिला के भाई द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराए जाने के बाद, कोतवाली देहात पुलिस ने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15.05.2026 को कांधला में उस किराए के मकान पर छापा मारा जहाँ वे रह रहे थे, और महिला को ज़बरदस्ती हिरासत में ले लिया। वे उसे सहारनपुर के महिला थाने ले गए और बाद में उसे सहारनपुर के नारी निकेतन भेज दिया गया। वह अभी भी सहारनपुर के नारी निकेतन में है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और उनकी सुरक्षा को भी गंभीर खतरा है।

7. अब जबकि हिरासत में रखी गई महिला को नियम के अनुसार हमारे सामने पेश किया गया है, हम इस मामले में उसका पक्ष दर्ज करना उचित समझते हैं:

"Q. आपका नाम?

A. हुस्ना।

Q. आपके पिता जी का नाम?

A. इमरान ।

Q. आपकी आयु कितनी है?

A. 27 साल।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Q. सलमान कौन हैं?

A. मेरे पति हैं।

Q. आप इस समय कहाँ से आई हैं?

A. जी अपने ससुराल से आई हूँ।

Q. आप ससुराल किस तारीख को गई थीं?

A. मैं 10 तारीख को ससुराल गई थी।

Q. उससे पहले आप कहाँ थीं?

A. नारी निकेतन में थी।

Q. नारी निकेतन से ससुराल आपको कौन ले गया?

A. मेरी ननद और मेरे सासू माँ ने।"



8. चूंकि याचिकाकर्ता संख्या 1 अब हिरासत में नहीं है, इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की इस याचिका में कोई आदेश देने की ज़रूरत नहीं है।

9. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता संख्या 1 को अपने परिवार या पुलिस से कोई अन्य शिकायत है, तो वह सलाह के अनुसार उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगी।

10. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 अपने पति के साथ ससुराल वापस जाने के लिए स्वतंत्र होगी; पति न्यायालय में मौजूद है।

11. ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है।

29 जून 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर) (न्यायमूर्ति अचल सचदेव)